

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 902/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 995/2026
CNR: RJHC020438982026 | URN: CRLAS / 1860U / 2026

Ramcharan S/o Shri Girraj, Aged About 49 Years, Resident Of
Pichuna, Police Station Uchchen, District Bharatpur (Raj.) (At
Present Confined In Sub Jail Bayana (Bharaptur)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Govind Prasad Rawat
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta, P.P. with Mr. Navdeep Singh P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

07/08/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **रामचरन** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या—02 बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—17/2019, सरकार बनाम रामचरन में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **02.05.2026** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान कुछ समय अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 02.05.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग पांच माह होने को है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता से संबंधित आरोप बनना नहीं पाया जाता है, साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं तथ्यों का सही रूप से विवेचन-विश्लेषण नहीं किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपील में अपीलार्थी/ अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि घटना में मजरुब गंगाराम के सिर पर गम्भीर चोटें आई हैं। मजरुब सर्वप्रथम उच्चैन अस्पताल में ले जाया गया, तत्पश्चात उसे आर.बी.एम. भरतपुर में लाया गया, वहां से उसे एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके सिर में पैराईटल डिप्रेसबोन में फ्रैक्चर आना पाया गया, उसका ऑपरेशन भी हुआ है, ऑपरेशन करने वाले चिकित्सीय साक्षी पी0डब्ल्यू-16 डॉ0 अरविन्द शर्मा ने ऑपरेशन कर मजरुब गंगाराम के सिर में से टूटी हुई हड्डी को निकाला है, प्रदर्श पी-14 सिटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है, उसकी अभिरक्षा अवधि पांच माह भी नहीं हुई है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों-वितर्कों पर मनन किया, मजरूब का बैड हैड-टिकट, सिटी स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 तथा चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सामग्री का अवलोकन किया। अभियुक्त को प्रकरण में 05 वर्ष के दण्ड से दंडित किया गया है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि उसके मुकाबले लगभग पांच माह की रही है, अतः ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के तर्कों, उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त **रामचरन पुत्र श्री गिराज** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J